मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Headquarters, Employees' State Insurance Corporation
पंचदीप भवन, सी.आइ.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002

संख्या : ई-13/12/9/2020-जन संपर्क　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक : 17.09.2020

प्रेस प्रकाशनी

क.रा.बी. निगम द्वारा अटल बीमित कल्याण योजना के अंतर्गत बेरोजगारी हितलाभ के लिए दावा प्रस्तुत करने हेतु जारी किया गया अनुदेश

क.रा.बी. निगम ने श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्रम एवं रोजगार, भारत सरकार की अध्यक्षता के तहत एक और वर्ष, अर्थात् 01 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक के लिए अटल बीमित कल्याण योजना की स्कीम को वर्धित करने का निर्णय किया है। कोविड-19 वैश्विक महामारी तथा तत्संबंधी लॉकडाउन के कारण जो अपना रोजगार खो चुके हैं उन बीमाकृत व्यक्तियों के लिए पात्रता शर्तों में छूट देने के साथ इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी राहत की दर को मजदूरी के 25% से बढ़ाकर को अब 50% करने का भी निर्णय किया गया। वर्तमान अभी तक बेरोजगारी हितलाभ के लिए दावा नियोक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। श्री गंगवार ने बताया कि महत्वपूर्ण छूट के रूप में, अब दावा बीमाकृत व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट क.रा.बी.निगम शाखा कार्यालय को सीधे ही प्रस्तुत किया जा सकता है। परिवर्धित हितलाभ तथा छूट शर्तें 24 मार्च 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक की अवधि के दौरान लागू होगी। इस प्रयोजन के लिए दिनांक 11 सितंबर 2020 को अधिसूचना जारी की गई है। क.रा.बी. निगम ने प्रभावित हुए कामगारों द्वारा दावा प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश भी जारी कर दिया है। राहत प्राप्त करने का दावा डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से निर्दिष्ट क.रा.बी.निगम शाखा कार्यालय को प्रत्यक्ष (फिजिकल) दावा के रूप में एक शपथ-पत्र, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और बैंक खाते के ब्योरे सहित वेबसाइट www.esic.in पर ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है। राहत का भुगतान सीधे कामगारों के बैंक खाते में किया जाएगा।

भारत में क.रा.बी.योजना

श्रम एवं रोजगार मंत्री ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह संगठन श्रमिकों की लगभग 3.41 करोड़ परिवार इकाइयों को व्याप्त किए हुए है और अपने 13.24 करोड़ हितलाभार्थियों को अद्वितीय नकद हितलाभ एवं उचित चिकित्सा देखरेख प्रदान कर रहा है। आज, इसकी अवसंरचना में 1520 क.रा.बी.औषधालय (मोबाइल औषधालयों सहित) / 307 आईएसएम इकाइयां और 159 क.रा.बी.अस्पताल, 793 शाखा/ भुगतान कार्यालय तथा 64 क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ कई गुना वृद्धि हो चुकी है। आज क.रा.बी.योजना देश के 34 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में 566 जिलों में लागू है।

****